

संशोधित

नियमावली

1. समिति का नाम - "केन्टेब एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी होगा ।
2. समिति का पता - म.नं. ए-8 चौबिस बंगले सनराईस कालोनी ईदगाह हिल्स, तहसील-हुजूर. भोपाल (म.प्र.) ।
3. समिति का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत होगा।
4. समिति का उद्देश्य-
 - i. बच्चों को कालेज एवं उच्च शिक्षा के लिये तैयार करना।
 - ii. बच्चों को अनुशासीत नागरिक बनाना एवं उनमें राष्ट्रीय भावना जगाना।
 - iii. कमजोर वर्ग की लड़कियों एवं महिलाओं को घरेलू उद्योगों में दक्ष करना।
 - iv. सामाजिक उत्थान के प्रयास।
 - v. कम्प्यूटर फील्ड में बच्चों एवं हर उम्र के लोगों को शिक्षित करना।
 - vi. समिति द्वारा नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी, चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा कॉलेज, आई टी आई, एम बी ए, एम सी ए, उच्च शिक्षा, एम एड, बी एड, डी, साइंस, कम्प्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल, मेडिकल, स्वरोजगारोन्मुखी, फार्मसी, नर्सिंग, चैरिटेबल, हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी सेंटर सहित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर इन्हे संचालित करना।
 - vii. भारतीय संस्कृतिक की रक्षा एवं विकास करना, संस्कृतिक, वैदिक शिक्षा पर शोध करना।
 - viii. आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक एवं संस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
 - ix. स्वसहायता समूह बनाना एवं संचालन करना।
 - x. समिति द्वारा योगासन व व्यायाम शाला सुविधा उपलब्ध करना तथा मानसिक शांति हेतु ध्यान एवं (मैडिटेशन) आश्रमों का संचालन करना।
 - xi. कृषि के क्षेत्र में प्रभावशाली तकनीकी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देना जैसे कृषि जलवायु की अनुरूपता भूमि की क्षमता, जल की उपलब्धि भूमि की उर्वरकता बनाए रखना तथा जैविक खेती, औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना।
 - xii. पर्यावरण संरक्षण हेतु युवाओं को प्रेरित करना तथा जल सर्वधन, जल संग्रहण, वृक्षारोपण मृदा संरक्षण, गैर पारम्परिक ऊर्जा का प्रयोग, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधा संरक्षण, वनीकरण, आदि पर्यावरण से संबंधी विषयों का उपयुक्त सुचना के साथ प्रचार प्रसार कर प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, संगोष्ठी नाट्य रूपांतरण, रैली, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कर लोगों में जन जाग्रति लाना।
 - xiii. भू-जल संवर्धन, वन एवं पौधा रोपण सामाजिक वानिकी नर्सरी एवं वन उपज तेंदूपत्ता इत्यादि का कार्य करना। जल ग्रहण, भूमि विकास के कार्य करना, जल स्तर को बढ़ाने हेतु वाटर हार्वेस्टिंग उपायों का प्रचार प्रसार करना तथा ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण गैर परम्परागत ऊर्जा (पवन, सोलर, बायोगैस) व इंधन (बायोडीजल और इथनोल आदि) के साधनों को बढ़ावा देना तथा सौर ऊर्जा को परम्परागत व गैर परम्परागत तरीके से संचालित करना।
 - xiv. विचार गोष्ठियां और सम्मेलनों का आयोजन कर समाज सेवकों को सम्मानपूर्वक शासन से सम्मानित करना।
 - xv. ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु योग शिक्षण के माध्यम से नैतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास करना तथा रोजगार के लिए शासन की योजनाओं से अवगत कराने व समाज के निर्बल गरीब एवं असहाय लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का कार्य करना।
 - xvi. समिति के माध्यम से युवक एवं युवतियों के कल्याणार्थ शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना व सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टाइपिंग, कम्प्यूटर, ब्यूटी पार्लर, पेंटिंग, संगीत, गृह सज्जा, आचार पापड़, मुरब्बा, माचिस, दोना पत्तल, सी एफ

- एल बल्ब, अगरबत्ती, मसाला, हस्तकला, हस्तशिल्प, हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट, बॉस कला, मेहंदी पाककला आदि का प्रशिक्षण देना।
- xvii. मानव संसाधन विकास, शहरी विकास, सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, की समस्त कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित कर उसका प्रचार प्रसार कर शासन को सहयोग प्रदान करना।
- xviii. सफाई या स्वच्छता अभियान का नेतृत्व करना।
- xix. एमएसएमई बिना किसी नुकसान या फायदे के चलना।
- xx. स्वास्थ्य सहायता में नर्सों और वार्डबॉय के लिए प्रशिक्षण।
- xxi. थाना में टीम को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- xxii. प्रकाशन सेवाएं प्रदान करना।